(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Jagdal pur	Parsegarh	76.00
14.	-do-	Pali tank	84.00
		TOTAL:	1430.81

देश में पारसी आबादी

2726. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पारसियों की आबादी निरन्तर कम हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पारसियों की आबादी, जो इस समय लगभग 76,000 है, के आगामी पच्चीस वर्षों में कम होकर केवल 30,000 रह जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व के 70 प्रतिशत पारसी मुम्बई में रहते हैं;

(घ) इनकी आबादी में कमी आने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार पारसियों की नस्ल की रक्षा के लिये पारसी नेताओं से विचार-विमर्श करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सकबूल डार): (क) जी नहीं श्रीमान्। पारसी धर्म के अनुयायियों की संख्या, जोकि 1981 की जनगणना में 71,630 थी। 1991 की जनगणना में बढ़कर 76,382 हो गई। इस प्रकार 1981-1991 के दशक में इनकी संख्या में 4,752 की वृद्धि हुई है।

(ख) चूंकि 1991 की जनगणना के पश्चात कोई जनगणना नहीं हुई है। अतः पारसी/पारसी धर्म के अनुयायियों की इस समय की संख्या उपलब्ध नहीं है। 25 वर्ष बाद उनकी संख्या क्या होगी, इस संबंध में अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार बृहत्तर बम्बई नगर निगम क्षेत्र में पारसी/पारसी धर्म के अनुयायियों की संख्या 53,794 थी। विश्व में इस धर्म के अनुयायियों की कुल संख्या में इसके प्रतिशत की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

Change in Indian Post Office Act, 1898

2727. SHRIMATI URMILABEN CHAMANBHAIPATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the present Indian Post Office Act, 1898 has become obsolete in view of the change in the present modern day system;

(b) whether Government have set up any Committee to examine the whole issue and suggest amendments to the present statute; and

(c) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) The Indian Post Office Act, 1898 has stood the test of time but in view of the changing socio-economic scenario worldwide some of its provisions need to be amended.

(b) A Committee was set up by the Governemnt to review the Indian Post Office Act, 1898.

(c) The main recommendations of the Act Review Committee are:

(i) Partial relinquishment of the exclusive privilege of the Central Government to carry letters and allowing private courier to carry letters on obtaining licence under certain given terms and conditions;

(ii) Assumption of more liability by the Postal Department for operational failures;

(iii) Incorporation of suitable, enabling provisions for the introduction of new services; and

(iv) Modification of the regulations relating to treatment of undeliverable postal articles.

Import of new sub-marine for Indian Navy

2728. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal regarding import/ construction of new submarines for the Indian Navy;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) by when the proposal is expected to be finalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) to (c) There is a proposal for import of two submarines which are proposed to be inducted in 1997 and 1998. Besides, a case for indigenous construction of two submarines has also been initiated. The indigenously constructed submarines are proposed to be delivered between 2003 to 2005.

Indian Citizenship to Sri Lankan Tamils of Indian Origin

2729. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of Sri Lankan Tamils of Indian origin who had come to India since 1977 had urged the Government of India through their representation dated 21st October, 1991 for grant of permanent Indian citizenship;

(b) whether it is also a fact that they had suggested grant of identity cards till the citizenship request is decided;

(c) whether the Government of India are considering their requests; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) No representation dated 21.10.1991 is available in the record of the Ministry of Home Affairs.

(b) to (d) Do not arise.

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के लिये आवंटन

2730. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **जल-संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए पंचमहल जिले के लिये तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) इस मंत्रालय द्वारा प्रचालित, केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता की राशि पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में क्रमशः 209.65 लाख रु०, 558.68 लाख रुपए और 550.14 लाख रुपए थी।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतमर्गत 7 परियोजनाएं हैं, नामशः माही कदाना, पानम, कारद, पटाडुंगरी, वांकलेश्वर भे, उमरिया और देओ जो पंचमहल जिले को लाभ पहुंचाएगी। इनमें से चार परियोजनाएं नामशः कारद, पटाडुंगरी, वांकलेश्वर भे और उमरिया केवल पंचमहल जिले को लाभान्वित करेंगी। शेष तीन परियोजनाएं पंचमहल के अलावा अन्य जिलों को भी लाभ पहुंचाएंगी। गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, चालू वर्ष अर्थात 1996-97 के लिए और आगामी वर्ष अर्थात् 1997-98 के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उपर्युक्त सात परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम 2001-2002 तक पूरे कर लिये जाएंगे। गुजरात सरकार द्वारा 1998-99 से 2001-2002 की अवधि के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।